न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

अपील संख्या 04/2019

वासुदेव पुत्र बालूराम जाति माली निवासी सैनीनगर नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
–अपीलान्ट

बनाम

1. सागरमाल पुत्र बालूराम जाति माली
2. मोहनी पुत्री बालूराम जाति माली निवासीगण सैनीनगर नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
3. तहसीलदार भूमिधारक तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण दिनांक 05.10.2010

ऐडवोकेट अपीलान्ट :– श्रीमती स्नेहलता
ऐडवोकेट रेस्पोडेन्ट :– –

आदेश

दिनांक 27.09.2019

अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम सैनीनगर में भूमि ख.न. 178/0.10, 179/0.71, 180/0.04, 181/0.33, 182/0.29, 183/0.06, 184/0.21, 185/0.26, 186/0.20, 187/0.21 किता 10 कुल रकबा 2.41 है0 में रेस्पोडेन्ट सं0 2 का 2/360 वां हिस्सा अपीलान्ट द्वारा जरिये विक्रय पत्र के दिनांक 09.07.2010 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 से क्रय की जिसका विक्रय पत्र उप पंजियक कार्यालय नवलगढ में तस्दीक होने के बाद अपीलान्ट खातेदार काश्तकार काबिज है।

उक्त विक्रय पत्र के तस्दीक होने के बाद नामान्तरण सं0 235 पटवारी द्वारा 01.09.2010 को खोला तथा 21.09.2010 का मिलान करने के पश्चात दिनांकि 05.10.2010 को ग्राम पंचायत नवलडी द्वारा तस्दीक कर दिया गया परन्तु नामा0 दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का व भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा 02.07.2010 को नामा0 में अपीलान्ट को क्रय शुदा प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में से 1/60वां हिस्सा व 2/360 वां हिस्सा दर्ज करना चाहिये था परन्तु नामा0 में रेस्पोडेन्ट सं0 1 के द्वारा 1/60वां हिस्सा विक्रित यानि अपीलान्ट द्वारा जरिये विक्रय पत्र के क्रय किया उसको इन्द्राज नही करने के कारण से रेस्पोडेन्ट उक्त नामा0 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी आवश्यक हुई।

विक्रय पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमियों में से रेस्पोडेन्ट ने जरिये विक्रय पत्र के उनका हिस्सा विक्रय किया परन्तु उक्त हिस्सा नामा0 में दर्ज नही होने के कारण अपीलान्ट को सख्त हकतल्फी पैदा हुई उक्त नामा0 के रहने से आवेदक को गंभीर क्षति होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। इसलिये अपील पेश कर उक्त नामा0 विधि विरूद्ध होने से अपील स्वीकार की जाकर नामा0 खारिज फरमया जाकर पुनः जांच कर विक्रय पत्र के अनुसार नामा0 इन्द्राज किया जावे और उक्तानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि ग्राम सैनीनगर पटवार हल्का नवलडी की तन में भूमि ख.न. 178/0.10, 179/0.71, 180/0.04, 181/0.33, 182/0.29, 183/0.06, 184/0.21, 185/0.26, 186/0.20, 187/0.21 किता 10 कुल रकबा 2.41 है0 का नामा0 सं0 235 आवेदक के विरूद्ध दर्ज होने के कारण से खारीज फरमाया जाकर पुनः विक्रय पत्र के अनुसार जांच किये जाने का आदेश दिया जाकर विक्रय पत्र के अनुसार नामा0 दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी रेस्पोडेन्टगण की गई। रेस्पोडेन्टगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

इनका जबाब बंद किया गया। अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य पेश किया गया। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल विक्रय पत्र दिनांक 09.07.2010 के अनुसार सागरमल पुत्र बालूराम मोहनी पुत्री बालूराम जाति माली निवासीगण ग्राम सैनीनगर तहसील नवलगढ द्वारा ग्राम सैनीनगर की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 178/0.10, 179/0.71, 180/0.04, 181/0.33, 182/0.29, 183/0.06, 184/0.21, 185/0.26, 186/0.20, 187/0.21 किता 10 कुल रकबा 2.41 है0 में से सागरमल का अकेले का हिस्सा 1/60, व सागरमल व मोहनीदेवी दोनो का संयुक्त रूप से दर्ज 2/360 का विक्रय वासुदेव पुत्र बालूराम जाति माली निवासी गाम सैनीनगर को विक्रय का विक्रय पत्र उप पंजियक कार्यालय नवलगढ से तस्दीक करवाया गया है। नामा0सं0 235 के अनुसार नामा0 अपीलान्ट के नाम 2/360 वां हिस्सा दर्ज किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट की खातेदारी में क्रय भूमि से कम हिस्सा दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम सैनीनगर तन नवलडी का नामान्तरण सं0 235 दिनांक 05.10.2010 को खारिज किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि अपील में वर्णित तथ्यों की जांच की जाकर व पक्षकारान को सुना जाकर विक्रय पत्र दिनांक 09.07.2010 अनुसार नामान्तरण दर्ज कार्यवाही की जावे। तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 27.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27-9-19

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner